4/1 ⑥

प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

.......शाहपुरा.......

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

2022/346

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ......बोरडा...... की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 334 में मेरा नाम बरदा पुत्र किशना कावरी दर्ज है जबकि संलग्न दस्तावेजों में बरदू पुत्र किशना कावरी दर्ज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांकः–

प्रार्थी

(......[signature]......)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम....बोरडा.......के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या ...334...... में प्रार्थी का नाम ..बरदा पुत्र किशना... दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज ...व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम बरदू पुत्र किशना है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

[signature]

भू0अ0नि0 ..बोरडा...

94-8-2022

[signature]

पटवारी बोरडा 24-6-22

रिपोर्ट तहसीलदार........................

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी ..बोरडा.......व भू0अ0नि0 ....बोरडा........एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम....बोरडा.........की जमाबन्दी सम्वत्...2076 से 79.........की खाता संख्या...334.........में प्रार्थी का नाम..बरदा पुत्र किशना..के बजाय...बरदू पुत्र किशना कावरी...किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार 28/6/22

282/22
28/6/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम...बोरडा.........जमाबन्दी सम्वत्..2076-79....खाता संख्या..334.....में दर्ज प्रार्थी का नाम..बरदा पुत्र किशना..के स्थान पर ...बरदू पुत्र किशना कावरी...संशोधन के आदेश दिये जाते है।

[signature]

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)